


2

न्यायालय में :- श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



क्रमांक 2646-115

गुलाब सिंह पिता चिडड़ा गोड़ निवासी सेमरवार तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
..... निगरानीकार

बनाम्

पंचू पिता गोकुल चर्मकार जाति चमार निवासी ठोढीपानी तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
..... गैर निगरानीकार उत्तरवादी

श्री. श. क. मागुवाल नारायण
17-8-15
प्रस्तुत

17-8-15

प्रकरण-निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय
श्री मान तहसीलदार महोदय तहसील जैतहरी बसिलसिले
राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2000-2001 आदेश
दिनांक 30/12/2000

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं0 1959

17-8-15

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :-

मामले के तथ्य


मामले का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ठोढीपानी तहसील जैतहरी तत्कालीन जिला-शहडोल वर्तमान जिला-अनूपपुर (म0प्र0). स्थित आराजी खसरा नं0 12/7 रकवा 2.606 हे0 तथा खसरा नं0 12/11 रकवा 1.416 हे0 प्रार्थी निगरानी कर्ता के पटटे कब्जे दखल व भू-स्वामित्व की भूमियाँ हैं।

तथा आराजी ख0 नं0 12/1ख रकवा 2.023 हे0 गैर निगरानीकर्ता के पटटे की भूमि है। जो कि पूर्व में शासकीय भूमि 12/1 की थी।

उक्त भूमि ख0 नं0 12/1ख रकवा 2.023 हे0 का सीमांकन कराने हेतु गैर निगरानी कर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया जिसमें अधीनस्थ न्याया0 द्वारा

//2//

गुलाबसिंह



अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2646-सीन/15

जिला - अनूपपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...<u>व.एस.सी.ए.ए.</u>... <u>व.एस.सी.ए.ए.</u> के प्रकरण क्रमांक ...<u>16/39-12/2000-01</u>... में पारित आदेश दिनांक <u>20-12-2000</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ...<u>कौन्सिल अनूपपुर</u>... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>18-10-19</u> को ...<u>कौन्सिल अनूपपुर</u>... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	